वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम देने की सामान्य शर्तें

नियम 15 (1) स्वीकृति का अधिकार : केन्द्रशासन का विभाग, प्रशासन, या विभाग प्रमुख उनके अधीनस्थ केन्द्रशासन के शासकीय सेवकों को वाहन क्रय करने का अग्रिम स्वीकृत कर सकते है।

नियम 15 (2) कार्यालय प्रमुख, उसके अधीनस्थ शासकीय सेवकों को सायकल क्रय करने का अग्रिम स्वीकार कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इस नियम में "शासकीय सेवक" में राज्य शासन का कर्मचारी, जो केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर हो, वह सम्मिलित है। (वि.वि. क्र. OM NO F 16(61) E-II(A)/56 dt. 27.11.57) लेकिन इस नियम में भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर गया शासकीय सेवक सम्मिलित नहीं है।

नोट : जो अधिकारी वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकृत कर सकता है, वह स्वयं के लिए अग्रिम नहीं स्वीकार करेगा। उसको उससे उच्च अधिकारी अग्रिम स्वीकार करेगा।

केन्द्रशासन के निर्णय

(1) शासकीय सेवक को वाहन का रजिस्ट्रशन कराते समय जमानत देने हेतु अग्रिम स्वीकार नहीं किया जावेगा : कार क्रय करने हेतु शासकीय सेवक का उसका अग्रिम रजिस्ट्रेशन कराने तथा जमानत देने हेतु अग्रिम नहीं स्वीकार किया जावेगा, जैसा मोटर कार (विक्रय तथा वितरण) कन्ट्रोल आर्डर 1959 में प्रावधान है।

(2) वह अवर सचिव, जिसे कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया हो, अपने अनुभाग अधिकारी को अधिकृत कर दे, तो वह सायकल क्रय करने के अग्रिम देने के आदेश पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

GIM FOM NO F-6 (19) E II(A)/56-1 and 56-2 dt. 25.06.1956

(3) **जब रक्षा सेवा के अधिकारी या रेल्वे के अधिकारी सिविल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हो – उनको वाहन क्रय अग्रिम**

इस नियम में दिये गये सक्षम अधिकारी, रक्षा सेवा के अधिकारियों को या रेल्वे के अधिकारियों को जब वे सिविल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हो, निम्न शर्तों के अधीन वाहन क्रय अग्रिम स्वीकार कर सकते है।

(i) यह अग्रिम, सिविल विभाग को अग्रिम हेतु आवंटित, राशि से दिया जावेगा।

(ii) स्वीकृति से पहिले अधिकारी के मूल विभाग–रक्षा मंत्रालय /रेल्वे मंत्रालय से अग्रिम स्वीकार करने की अनुमति ली जावेगी।

(iii) उस स्थिति में जब अधिकारी रक्षा/रेल्वे सेवा/की सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर हो तब नियम 190 IbId में दिये अनुसार अग्रिम स्वीकृत किया जावेगा मानो वे आर्मी/नेवी/एयर फोर्स या रेल्वे की सेवा में हो।

(iv) यदि रक्षा सेवा या रेल्वे के अधिकरी, जो सिविल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हो, को सिविल विभाग की शर्तों के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकार किया जाता है, तो उन पर इस अध्याय में दी शर्तें लागू होगी तथा अधिकारियों के वापस रेल्वे/रक्षा सेवा में जाने पर भी अग्रिम इन्हीं नियमों से नियन्त्रित होगा, जब तक अग्रिम की पूर्ण वसूली न हो जावे।

अग्रिम स्वीकार करने वाले आदेश की प्रति रक्षा मन्त्रालय, रेल्वे मन्त्रालय जैसी मभी स्थिति हो तथा सम्बन्धित लेखाधिकारी को भी भेजी जावेगी।

G.I.M. FOM NO F-16 (15) E II(A)/66 dt. 16.07.1969

नियम 16 (1) कोई बाह्य नियोजक, उस अधिकारी को, जिसे भारत शासन ने, बाह्य सेवा पर उसके यहॉ नियोजित किया है, नियम 15 में दिये सक्षम अधिकारी की सहमति से, वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम निम्नं शर्तों पर दे सकता है यथा :

(i) अग्रिम का राशि का भुगतान विदेशी नियोजन के धन से होगा।

(ii) वह अग्रिम उन्हीं शर्तों पर नियंत्रित होगा, जो उस देश के शासकीय सेवक पर लागू होती है।

नियम 16 (2) उपनियम (1) में कोई बात होते हुए भी नियम 15 में दिये अधिकारी, बाह्य सेवा पर नियुक्त कर्मचारी को भारत शासन के फण्ड से भी अग्रिम स्वीकार कर सकते है।

नियम 16A. किसी औद्योगिक या व्यापारिक स्वशासी संस्था या निकाय या कारपोरेशन का जो पूर्ण रूप से या सारभूत रूप से केन्द्र या राज्य शासन की हो, का कोई कर्मचारी जब भारत शासन के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर हो को नियम 15 में दिया सक्षम अधिकारी उस कर्मचारी को निम्न शर्तों के अन्तर्गत वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकार कर सकता है :

(i) यदि वह कर्मचारी उस उपक्रम (Undertaking)/संस्था कारपोरेशन में स्थायी पद धारित करता हो तथा उसके केन्द्र शासन में, अग्रिम आहरण करने के दिनांक के पश्चात कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर रहने की संभावना हो।

(ii) यदि उस उपक्रम, संस्था या कारपोरेशन को अग्रिम देने में कोई एतराज न हो तथा वह संस्था/उपक्रम/या कारपोरेशन फार्म III-A में करारनामा निष्पादित करे कि यदि वह उस कर्मचारी को, उसको दिये अग्रिम तथा उस पद देय ब्याज की पूरी राशि भुगतान होने से पूर्व वापस बुला ले तो वह उस कर्मचारी के वेतन से पूव्र निर्धरित अग्रम की किश्त तथा ब्याज की राशि वेतन भुगतान होने के 7 दिन के अन्दर उस लेखाधिकारी को अनुसूचित बैंक के चैक या डिमान्ड ड्राफ्ट से भेजेगी, जहॉ उसके अग्रिम का लेखा है।

(iii) आवेदक, फार्म I में केन्द्रशासन के, उसके समान पद वाले या उससे उच्च पद पर पदस्थ स्थायी कर्मचारी की जमानत देता है।

नियम 17. अग्रिम देने की पात्रता : किसी शासकीय सेवक को मोटर कार, मोटर सायकल, स्कूटर या मोपेड क्रय करने के अग्रिम किया जा सकता है यदि :

(i) अग्रिम स्वीकृत करने वाले अधिकारी को विश्वास हो कि शासकीय सेवक की, उसकी किश्त भुगतान करने की क्षमता है।

(ii) मोटर कार क्रय करने का एडवांस उस कर्मचारी की स्वीकृत किया जावेगा, जिसका मूलवेतन+महंगाई वेतन का योग 15750/– (रूपये पन्द्रह हजार सात यौ पचास) या ऊपर हो। प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग का सचिव, सुपात्र कर्मचारी के मामले में इस शर्त में ढील दे सकता है।

नियम 18. वाहन क्रय करने का अग्रिम, उस कर्मचारी को नहीं दिया जावेगा, जिसने पहले ही वाहन ले लिया हो और उसका मूल्य भी भुगतान कर दिया हो केवल उस परिस्थिति को छोड़कर, जब कर्मचारी ने अग्रिम का आवेदन देने के तीन माह में अन्दर वाहन क्रय किया हो तथा उसके मूल्य का भुगतान अस्थाई कर्ज लेकर किया हो।

नोट– यदि, वह कर्मचारी, जिसने नियमानुसार पात्रता होने पर जिसने वाहन क्रय करने हेतु आवेदन दिया, किन्तु बजट में राशि उपलब्ध न होने के कारण या किसी अन्य कारण से स्वीकृति देने में विलम्ब हुआ हो तथा उसको वाहन क्रय करने की अतीव आवश्यकता होने के कारण उसे अस्थाई कर्ज लेना पड़े, तो उसको आचरण नियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अस्थाई ऋण लेने की स्वीकृति लेना चाहिए और आचरण नियम के अन्तर्गत स्वीकृति देने वाल अधिकारी वाहन क्रय की स्वीकृति देने वाले अधिकरी से भिन्न हो तो आचरण नियम के अन्तर्गत मिली स्वीकृति से भी अवगत कराना चाहिए।

नियम 19. यदि किसी कर्मचारी ने पूर्व से ही वाहन क्रय करने का अग्रिम लिया हो तो, जब तक वह अग्रिम तथा उस पर ब्याज की राशि का पूर्ण भुगतान न हो जावे तब तक दूसरा वाहन क्रय करने का अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थिति में वित्त मन्त्रालय की सहमति के उपरान्त स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 20. ब्याज : वाहन क्रय करने के अग्रिम पर, शासन द्वारा, समय समय पर स्वीकृत दर से, साधारण ब्याज बसूल किया जाएगा। ब्याज प्रति माह के अन्तिम दिनांक को, शेष राशि पर संगणित किया जावेगा।

केन्द्र शासन के निर्देश

(1) यदि वेतन, अगले माह की पहली तारीख के पूव्र वितरित किया जावे, तब किश्त भुगतान के दिनांक की गणना करना : उस स्थिति में, जब किसी माह में वेतन, माह के समाप्त होने के पूर्व वितरित किया जावे, तब इस वेतन बिल से अग्रिम में काटी गई किश्त को, अगले माह की प्रथम दिनांक को भुगतान माना जावेगा। (जो किश्त भुगतान की सामान्य तारीख है)

(2) यदि अवकाश वेतन का भुगतान देर से हो तब किश्त के भुगतान का दिनांक निर्धारित करना : जब अग्रिम किश्त का भुगतान वेतन/अवकाश वेतन के बिल से होता है, और शासकीय सेवक अपने वेतन/अवकाश

वेतन का दावा किसी प्रशासनिक के कारण या आडिट आफिस से पे स्लिप न आने के कारण, समय पर प्रस्तुत न कर पाये और भुगतान विलम्ब से हो तो अग्रिम की किश्त का भुगतान अगले माह की पहली तारीख को माना जावेगा वेतन चाहे किसी तारीख को वितरण हो।

G.I.M. FOM NO F-16 (7) E II(A)/69 dt. 23.07.1969

(3) प्रथम किश्त के भुगतान के दिनांक के दिनांक के सन्दर्भ से ब्याज की संगणना की जावेगी : यदि कोई अग्रिम, एक से अधिक किश्तों में भुगतान किया जाता हे तो ब्याज के दर की गणना जिस दिनांक को प्रथम किश्त का भुगतान किया, उस दिनांक को जो दर लागू थीं उसी दर से किया जावेगा।

खण्ड–III

मोटर कार तथा मोटर सायकल क्रय करने हेतु स्वीकुत होने वाले अग्रिम के लिये विशेष शर्तें

A. मोटर कार

नियम 21 (1) अग्रिम की राशि : किसी शासकीय सेवक को प्रथम बार मोटर कार क्रय करने हेतु अग्रिम लेने पर अधिकतम रू. 1,80,000/– (रूपये एक लाख, अस्सी हजार) तक या शासकीय सेवक का आठ माह का मूल वेतन+मंहगाई वेतन का योग या शासकीय सेवक द्वारा क्रय की जाने वाली कार का अनुमानित मूल्य, इस तीनों में से जो सबसे कम हो, वह राशि स्वीकृत की जावेगी। यदि शासकीय अधिकारी द्वारा ली गई कार का मूल्य, अग्रिम की राशि से कम हो तो शासकीय सेवक शेष राशि तत्काल शासन को वापस करेगा।

नियम 21 (2) दूसरी बार या अगली बार कार क्रय करने हेतु अग्रिम की राशि : दूसरी बार कार क्रय करने हेतु शासकीय वेतन द्वारा अग्रिम मांगने पर उसको अधिकतम राशि रू.1,60,000/– (रूपये एक लाख साठ हजार) था 8 माह का मूल वेतन+महंगाई वेतन या क्रय की गई कार का मूल्य, इन तीनों में जो सबसे कम हो, वह राशि स्वीकृत की जावेगी।

यह राशि पहली बार क्रय करने के अग्रिम लिये, अग्रिम आहरण करने के दिनांक से 4 वष्र पश्चात् ही देय होगी, परन्तु निम्न स्थितियों में चार वर्ष की गणना नहीं की जावेगी–

(a) जब पहले मोटर सायकल लेने का अग्रिम लिया हो और अब कार क्रय करने हेतु अग्रिम लेना हो।

(b) जब शासकीय सेवक ने एक वर्ष पश्चात् उसकी प्रतिनियुक्ति/ट्रेनिंग विदेश में होने पर, भारत में कार का विक्रय कर दिया और विदेश से वापस बिना कार आया हो।

(c) जब किसी की विदेश में नियमित पद पर नियुक्ति हुई हो और अपनी कार अपने साथ नहीं ले जा रहा हो।

नोट– (1) उक्त उपनियम में जो शब्द "मूल्य" का उपयोग हुआ है, उसमें कार के रजिस्ट्रेशन की फीस, जो अग्रिम में बुकिंग के समय जमा की जाती है और बाद में कार के मूल्य में समायोजित होती है, सम्मिलित है।

नोट– (2) यदि कोइ शासकीय सेवक, दो वाहन एक कार तथा एक मोटर सायकल/शासन से अग्रिम स्वीकार कराकर क्रय कर लिया है, तो उसको दूसरे वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते वह पहले वाले वाहन पर लिया अग्रिम तथा उसके ब्याज की पूरी राशि जमा करा दें इस स्थिति में उसकों पहले वाला वाहन को विक्रय करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अग्रिम दूसरा अग्रिम माना जावेगा।

नियम 21 (3) उस कर्मचारी को, जो विदेश में स्थाई पद पर पदस्थ हो या वहॉ प्रतिनियुक्ति पर हो या प्रशिक्षण ले रहा हो, तथा प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, और इन नियमों के अन्तर्गत कार क्रय करने हेतु पात्र हो, उसको इन नियमों के अन्तर्गत देय अग्रिम दो किश्तों में स्वीकार किया जा सकता है, पहली किश्त विदेश में कार क्रय करते समय तथा दूसरी किश्त उसकी विदेश सेवा की अवधि पूर्ण होने पर भारत लौटने पर भारत में कार की कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने हेतु दी जा सकती है।

नोट– (1) इस नियम के लिये (कार के वास्तविक मूल्य, (actual price) में विक्रय कर तथा आवश्यक सामग्री जैसे अतिरिक्त पहिया, टायर या ट्यूब, या स्कूटर की गद्दीदार सीट, आदि जो वाहन के साथ ही आती है और क्रेता को लेना पड़ती है, सम्मिलित है, लेकिन कार में रेडियों, सीट के प्लास्टिक कवर, जो वाहन के साथ नहीं आते हैं और क्रेता को अलग से मूल्य देकर क्रय करना पड़ते हैं तथा कार का बीमा तथा परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन का व्यय सम्मिलित नहीं है।

नोट–(2) इस नियम में "कार के वास्तविक मूल्य" में पहली बार क्रय करने पर निम्न भी सम्मिलित होंगे :

(i) कार को क्रय करने के बाद शासकीय सेवक के कर्तव्य स्थल तक परिवहन करने का व्यय, चाहे वह शासकीय सेवक द्वारा किया गया हो या कार विक्रेता द्वारा।

(ii) आक्ट्राय चार्ज जो वास्तव में भुगतान किया जावे।

नोट–(3) इस नियम के अन्तर्गत भारतीय विदेश सेवा या केन्द्र शासन के अधिकारियों के लिए जो विदेश में नियमित पद (Regular Post) धारित करते हो, अग्रिम की अधिकतम सीमा, या तो इस नियम में दी राशि होगी या वह राशि जो विदेशी मुद्रा के अनुसार देया होगीं। इन दिनों में जो भी कम हो वह होंगी। इस नियम में वास्तविक मूल्य में भारत के बाहर दिया क्रय कर (Purchase Tax) तथा भारत में भुगतान योग कस्टम ड्यूटी सम्मिलित होगी।

नियम 21 (4) वह अधिकारी जो नियम 21 (3) में दी शर्तों को कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने हेतु पूरी करता है तथा जिसने नियम 21 (1) या (2) के अन्तर्गत कार क्रय करने का अग्रिम नहीं लिया है, यदि वह अपनी कार भारत आने पर अपने साथ लाता है और वह भारत में कस्टम ड्यूटी भुगतान करने हेतु अग्रिम की मांग करता है तो उसको कस्टम ड्यूटी भुगतान करने हेतु एक किश्त में पूरा अग्रिम दिया जा सकता है और उसको कार क्रय करने के अग्रिम के समान नियमित किया जा सकता है।

नियम 21 (5) वह अधिकारी जो नियम 15 के अन्तर्गत कार क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकार कर सकता है, वह उस अधिकारी को, जो कार करने हेतु पात्र है, कम्प्यूटर क्रय करने हेतु प्रथम बार में रूपये 80,000/– तथा दूसरी बार रू. 75,000/– या कम्प्यूटर का वास्तविक मूल्य, (कस्टम छ्यूटी छोड़कर) जो भी कम हो का अग्रिम कम्प्यूटर क्रय करने हेतु स्वीकृत कर सकता है।

स्वीकार करने की शर्तें : (1) उस शासकीय अधिकारी को, जिसको पर्सनल कम्प्यूटर क्रय करने का अग्रिम स्वीकृत किया गया है, पहले दिये अग्रिम के आहरण दिनांक से तीन वर्ष समाप्त नहीं हुए है तो उसको दूसरी बार कम्प्यूटर क्रय करने का अग्रिम स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(2) वह पर्सनल कम्प्यूटर इस संग्रहण में दिये फार्म–IV में जहॉ "मोटर वाहन" लिखा है "उसको पर्सनल कम्प्यूटर" बदल कर राष्ट्रपति के नाम गिरवी रखने के लिये उपयोग किया जा सकता है। यह पर्सनल कम्प्यूटर राष्ट्रपति के नाम गिरवी रखा जावेगा तथा कार अग्रिम लेने हेतु जो करारनामा सम्पादित किया जाता है वही फार्म कम्प्यूटर क्रय करने के करारनामें में मोटर कार के स्थान पर पर्सनल कम्प्यूटर बदल कर उपयोग में लिया जावेगा और करारनामा निष्पादित किया जावेगा। फार्म– IV में गिरवी विलेख में कम्प्यूटर का मेक (Make) माडल (Model) तथा चेसिस नम्बर (Chasis No.) भरा जावेगा।

(3) पर्सनल कम्प्यूटर का अग्रिम लेने के लिये आवेदन, उस संग्रहण (Compendium) के साथ संलग्न फार्म VI में दिया जावेगा।

(4) पर्सनल कम्प्यूटर पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कोई अग्रिम स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अग्रिम की वसूली

(5) कम्प्यूटर क्रय करने के लिये, दिये गये अग्रिम की वसूली, कर्मचारी की इच्छानुसार समान मासिक किश्तों में की जावेगी लेकिन मासिक किश्तों की संख्या 150 से अधिक नहीं हो सकती।

(6) किसी कर्मचारी के वेतन से कटने वाले उसके द्वारा लिये सामान अग्रिमों की किश्तों का योग, वेतन से 50% से अधिक नहीं होगा जिसमें कम्प्यूटर अग्रिम भी सम्मिलित होगा।

ब्याज

(7) शासन द्वारा, समय समय पर कार के अग्रिम के भुगतान हेतु जो साधारण ब्याज की दर निर्धारित की जावेगी उसी दर से कम्प्यूटर अग्रिम पर भी साधारण ब्याज लगेगा।

इस संग्रहण में कार अग्रिम करने के लिये जो शर्तें निर्धारित की गई है, वे ही शर्तें कम्प्यूटर अग्रिम पर लागू होगीं।

केन्द्रशासन का निर्णय

कार, मोटर सायकल, पर्सनल कम्प्यूटर क्रय करने हेतु आवेदन फार्म

मोटर कार, मोटर सायकल/पर्सनल कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अग्रिम का आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न फार्म VI में दिया जावेगा।

G.I.M. FOM NO F-16 (B) (12) E IIA/60 dt. 02.07.1960 & F-19(4) E11(A) 88 22.06.1980

नियम 22. नियम 17 में कोई बात होते हुए भी, वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम उस कर्मचारी को, जो निलम्बित हो गया हो, स्वीकार नहीं किया जावेगां यदि अग्रिम निलम्बन पूर्व स्वीकार हो गया हो, तो उसका भुगतान निलम्बन काल में नहीं किया जावेगा।

नियम 23. अग्रिम की वसूली : नियम 21 के अन्तर्गत कार क्रय करने हेतु स्वीकृत अग्रिम की राशि की वसूली उतनी समान किश्तों में जो कर्मचारी नियत करे, की जावेगी लेकिन किश्तों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी।

केन्द्र शासन के निर्णय

उन अधिकारियों के लिये, जो भारत से बाहर विदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हों, विशेष प्रावधान

वह शासकीय अधिकारी, जिसको भारत से बाहर विदेश में बारह माह से अधिक अवधि पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो, या उसका विदेश में स्थानान्तर हो गया हो और उसने भारत में वाहन क्रय करने का अग्रिम लिया हो जिसकी पूरी राशि वसूल न हो पाई हो, उसको अग्रिम स्वीकृत करने वाला अधिकारी शेष किश्तों का भुगतान भारत में रूपये में करने हेतु अनुमति दे सकता है। शासकीय अधिकारी प्रतिमाह 15 तारीख तक राशि, उस अकाउन्ट आफिसर के नाम, जहॉ उसका अग्रिम का लेखा है बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज सकता है, यदि लेखाधिकारी को माह के अन्त तक बैंक ड्राफ्ट नहीं मिलता है तो वह इस बात की रिपोटे स्म्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय को तथा उस अधिकारी को जहॉ वह अधिकारी कार्य कर रहा है भेजेगा। यदि अधिकारी देय दिनांक तक बैंक ड्राफ्ट नहीं भेजता है तो वह वित्तीय नियम 2005 की धारा 228 का उल्लंघन करता है और चक्रवृद्धि ब्याज से दाण्डिक ब्याज का दायी होगा। अधिकारी से राशि भेजने का एक लिखित करारनामा भी लिया जावेगा। कर्मचारी के भारत वापस आने पर अग्रिम की शेष राशि की वसूली उसके मासिक वेतन बिल से नियमित रूप से लेखाधिकारी द्वारा की जावेगी।

G.I.M. FOM NO F-16 (1) E IIA/65 dt. 29.04.1965

नियम 24. अग्रिम की वसूली, जिस दिनांक को अग्रिम का भुगतान किया गया उसके पश्चात् देय प्रथम वेतन, अवकाश वेतन, गुजारा भत्ता, जो भी दिया जावे, से प्रारम्भ की जावेगी।

केन्द्र शासन के निर्णय

किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारण होना हो, तो वेतन निर्धारण होने तक, वाहन अग्रिम की किश्त की वसूली को सथगित नहीं किया जावेगा। यह नियम 24 का उल्लंघन है।

नियम 25. ब्याज की वसूली : नियम 20 के अनुसार संगणित ब्याज की राशि, कम से कम मासिक किश्तों में वसूल की जावेगी लेकिन ब्याज की राशि की किश्त नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारित अग्रिम कीराशि से अधिक नहीं होगी।

नियम 26. ब्याज की राशि की वसूली जिस माह अग्रिम की राशि वसूली पूरी होगी, उसके अगले माह से की जायेगी।

नियम 27. विक्रय या हस्तान्तरण : कोई भी शासकीय सेवक, अपनी कार की बिक्री या हस्तान्तरण, जब तक किश्त तथा ब्याज की पूरी राशि शासन को जमा न हो जावे। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से ऐसा किया जा सकता।

केन्द्रशासन के निर्णय

(1) किसी अन्य शासकीय सेवक को सशर्त हस्तांतरण : यदि कोइ शासकीय सेवक अपनी कार दूसरे शासकीय सेवक को हस्तान्तरित करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है जो उसको शासकीय कर्तव्य के पालन में उपयोग में लावेगा तो वह ऐसा कर सकेगा – लेकिन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के लिये कार के साथ देनदारी भी स्थानांतरित होगी तथा कार प्राप्त करने वाला कर्मचारी लिखित घोषणा पत्र देगा कि उसको ज्ञात है कि यह कार गिरती है तथा वह अग्रिम की शर्तें तथा प्रावधाान का पालन करेगा।

(2) कार की अग्रिम तथा ब्याज की राशि के भुगतान पूर्व विक्रय : यदि कोई शासकीय सेवक, शासन से अग्रिम लेकर क्रय की गई कार को, अग्रिम तथा ब्याज का पूर्ण भुगतान किये बगैर विक्रय करता है तो कार के विक्रय होते ही शेष अग्रिम तथा ब्याज की देय राशि जमा करावेगा। परन्तु वह दूसरी कार लेना चाह रहा हो, तथा यह राशि दूसरी कार के क्रय करने में निम्न शर्तों के अध्याधीन लगा सकता है :

(a) वह पुरानी कार की बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि, नई कार क्रय करने में लगावेगा तथा नई कार पुरानी कार की बिक्री के दिनांक से एक माह में क्रय करेगा।

(b) पुरानी कार की बिक्री के समय जो अग्रिम की राशि देना शेष हो, वह नई कार की कीमत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(c) पुरानी कार की देय अग्रिम की राशि का भुगतान पूर्व अनुसार करता रहेगा।

(d) वह नई कार गिरवी बन्ध पत्र फार्म V-A में राष्ट्रपति के नाम निष्पादित करेगा। इस बन्धपत्र में केवल वह राशि दर्शाई जावेगी जो भुगतान से शेष है, न कि अग्रिम की पूर्ण राशि।

(e) वह नई कार को शासन को गिरवी बन्धक रखेगा।

G.I.M. FOM No 23 (2) E II-A/90 dt. 17.07.1990

नियम 28. यदि वह कम्रचारी, जो कार क्रय करने हेतु अग्रिम प्राप्त करता है, तथा अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात् वह एक माह के अन्दर कार क्रय कर उसका मूल्य भुगतान कर, रसीद प्रस्तुत नहीं करता है, तो एक माह व्यतीत होने के बाद उसे अग्रिम की राशि मय एक माह के ब्याज के वापस करना होगी।

नोट– 1. केन्द्र शासन का विभाग, या प्रशासक या विभाग प्रमुख अपरिहार्य परिस्थिति में, एक माह की अवधि को दो माह तक बढ़ा सकता है।

नोट–2. यदि शासकीय सेवक, कार क्रय करने हेतु लिया अग्रिम कार न क्रय कर पाने के कारण एक माह की अवधि के पहले ही वापस कर देता है तो जितने दिन अग्रिम की राशि उसके पास रही, उतने ही दिनों का ब्याज देय होगा।

केन्द्र शासन के निर्णय

(1) कार क्रय करने के अग्रिम के स्वीकृति आदेश में नियम 28 में दी शर्त का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) शासकीय सेवक को कार लेने का अग्रिम उस समय लेना चाहिए जब कार का प्रदाय एक माह के अन्दर होना सम्भावित हो : बहुधा ऐसे प्रकरण आते हैं जब शासकीय सेवक, डीलर द्वारा कार का सप्लाय न कर पाने के कारण या कार उद्योगों में हड़ताल होने के कारण, या शार्ट सप्लाय होने से एक माह के अन्दी प्रदाय नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है शासकीय कर्मचारी को कार क्रय करने का आवेदन समय से पहले दे देना चाहिए और सक्षम अधिकारी को स्वीकृति भी दे देना चाहिए, लेकिन शासकीय सेवक को, जब डीलर लिखित में विश्वास व्यक्त करें कि वह एक माह के अन्दर कार प्रदाय कर सकता है, तब ही अग्रिम का आहरण करना चाहिये तथा डीलर का विश्वास पत्र (Assurance letter) वितरण अधिकारों को प्रस्तुत करना चाहिएं डीलर के इस विश्वास पत्र के बाद भी कार का प्रदाय न हो पावे तो शासकीय सेवक को अवधि वृद्धि का आवेदन करना चाहिए। इसके साथ कार के डीलर का पत्र भी लगाना चाहिए। जिसमें वह प्रदाय की अनुमानित तिथि दे, ताकि अवधि वृद्धि पर विचार किया जा सके।

G.I.M. FOM No F-16 (B) (11) E II (A)/58 dt. 17.07.1958 & F-16 B (24) E11 (A)/59 dt. 27.10.1959

(3) यदि कार की खरीदी एक माह में न हो पावे, जब दाण्डिक ब्याज लगाना : जब कार क्रय करने का अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात एक माह में कार नहीं क्रय कर पावें तो ब्याज इस तरह लगाया जावेगा :

(i) नियम 28 में दी गई एक माह की अवधि–अग्रिम के आहरण के दिनांक से संगकणत की जावेगी।

(ii) प्रथम माह में, या सक्षम अधिकारी द्वारा अवधि बढ़ाई जावे तब बढ़ाई गई अवधि के लिए नियम (2) के नीचे निर्णय (1) में दिये अनुसार दर से ब्याज लिया जावेगा।

(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अवधि के लिये, अग्रिम की शेष राशि पर नियम2 के नीचे निर्णय (1) में दिये अनुसार दर से ब्याज लिया जावेगा।

G.I.M. F File No F-16 (8) E-(II) (A)/73

(4) कार क्रय करने का अग्रिम स्वीकार करने वाला अधिकारी, शासकीय सेवक को कार क्रय करने के दिनांक से एक माह के अन्दर या अग्रिम के आहरण के दो माह में कार का रजिस्ट्रेशन पुस्तिका प्रस्तुत करने का आदेश देंगे, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसके द्वारा क्रय की गई कार उसी के नाम है अन्यथा वह नियम (2) के नीचे शासन निर्णय क्र.1 के अनुसार दाण्डिक ब्याज देने का भागी होगीं यह दाण्डिक ब्याज अग्रिम के आहरण के दिनांक से रहजस्ट्रेशन बुक प्रस्तुत करने के दिनांक तक का देय होगा। परन्तु यदि बात निश्चित हो जावे कि रजिस्ट्रेशन बुक प्रस्तुत करने में शासकीय सेवक की कोई कलती नहीं है और वह अपरिहार्य परिस्थिति वश प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो दण्डिक ब्याज नहीं लगेगा।

G.I.MF OM No F-16 (7) E (II) (A)/83 dt. 24.09.1985

(5) **वाहन क्रय करने की रसीद का सत्यापन** : वाहन अग्रिम स्वीकार करने वाला अधिकारी, शासकीय सेवक से, वाहन के क्रय करने के उपरान्त, वाहन क्रय करने की रसीद प्रस्तुत करने का निर्देश देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अग्रिम का उपयोग स्वीकृत वाहन क्रय करने में, निर्धारित समय में, हुआ है और वाहन का मूल्य स्वीकृत अग्रिम की राशि से कम नहीं है इसके पश्चात वह निम्न प्रमाण पत्र लेखाधिकारी को भेजेगा :

"The cash receipt has been received and after scrutiny it has been verified that the amount of advance has been fully utilised for the purchase of conveyance with in the prescribed period and the actusl price as defined in Note 1 to 3 below rule 21 in not less than the advance"

पश्चात् वह वाहन की रसीद शासकीय सेवक को वापस दे देगा।

G.I.MF OM No F 23 (4) E II (A)/89 dt. 04.06.1989

नियम 29. करारनामा तथा गिरवी बन्ध पत्र : शासकीय सेवक, कार के लिये स्वीकृत अग्रिम के आहरण के पूर्व यदि अग्रिम नियम 17 के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है तो इस सार संग्रह में दिये फार्म–II में और यदि नियम 18 में स्वीकृत हुआ है तो फार्म– III में करारनामा निष्पादित करेगा। मोटर कार का क्रय पूर्ण करने के उपरान्त, वह कार का गिरवी बन्ध पत्र (Mortagage Bond) फार्म IV में और या फार्म V में, जैसी स्थिति हो निष्पादित करावेगा और कार को अग्रिम की राशि की जमानत के रूप में राष्ट्रपति के नाम आडमा (hypothecate) करावेगा।

नोट : यदि केवल अग्रिम एक ही मोटरकार क्रय करने के लिए ही स्वीकृत हुआ है या एक ही अग्रिम केवल कस्टम ड्यूटी भुगतान करने के लिए ही स्वीकृत हुआ है या एक ही अग्रिम कार क्रय करने तथा कस्टम का भुगतान करने के लिए स्वीकृत हुआ है तो गिरवी बन्ध पत्र फार्म– (IV) में आवश्यक संशोधन उपरान्त उपयोग में लाया जावेगा। और यदि कार क्रय करने के बाद, अग्रिम, केवल कस्टम ड्यूटी का भगतान करने के लिए स्वीकृत हो तब गिरवी बन्ध पत्र फार्म V में भरा जावेगा।

केन्द्र शासन के निर्णय

(1) अग्रिम भुगतान के पश्चात कार्यवाही : (a) अग्रिम स्वीकृत करने वाल अधिकारी, शासकीय सेवक के अग्रिम हारण करने वाले बिल के साथ निम्न प्रमाण पत्र लगावेगा :

"Certified that the Agreement in For II/or III (Whichever applicable) has been signed by the government servant drawing the advance and that it has been examined and found to be in order"

अग्रिम स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शासकीय सेवक ने कार क्रय करने के बाद एक माह के अन्दर अग्रिम की राशि तथा ब्याज की राशि की जमानत के रूप में उसने कार राष्ट्रपति के निर्धारित फार्म में आडमान (hypothelaled) करा दी है।

(d) उपरोत्त उप पैरा (a) में दिया प्रमाण पत्र, जो आछिट आफिसर/लेखाधिकरी को प्रस्तुत किया जावेगा, स्वीकृतकर्ता अधकारी के कार्यालय के अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारी करारनाम की प्राप्ति तथा उसकी जांच पर निगरानी रखेगा।

G.I.M FOM No F 23 (II) E-II (A)/86 dt. 18.08.1987

(2) गिरवी बन्ध पत्र का सुरक्षित रखा जाना तथा उसका निवर्तन : गिरवी बन्ध पत्र अग्रिम स्वीकार करने वाले अधिकारी के पास सुरक्षिात रखा जावेगा। जब अग्रिम की राशि मय ब्याज पूरी जमा हो जावे, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी, लेयाा अधिकारी से अग्रिम तथा ब्याज की पूरी राशि वसूली का प्रमाण पत्र लेकर बन्ध पत्र को निरस्त कर शासकीय सेवक को वापस लौटा दिया जावेगा।

(3) यदि गिरवी बन्धपत्र समय पर निष्पादित न हो पावे : यदि शासकीय सेवक निर्धारित अवधि में गिरवी बन्ध पत्र का निष्पादन न करे तो उससे अग्रिम की राशि के अन्तर्गत अग्रिम की पूरी राशि मय ब्याज के वसूल की जावेगी। चदि वह समय पर आवेदन देकर यह प्रमाणित कर दे कि बन्धपत्र अपरिहार्य परिस्थिति के कारण नहीं जमा करा सका है, तो अग्रिम की राशि की वसूली नहीं की जावेगी।

G.I.M FOM No F 16 (4) E-11 (A)/64 dt. 04.01.1965

B. मोटर सायकल

नियम 30. नियम 17 में दिये प्रावधानों के अध्याधीन, वह अधिकारी जो किसी शासकीय सेवक को, कार क्रय करने का अग्रिम स्वीकृत कर सकता है, वह अधिकारी, शासकीय सेवक को मोटर सायकल/स्कूटर/मोपेड क्रय करने हेतु अग्रिम भी स्वीकार कर सकता हैं। यह अग्रिम भी उन्हीं शर्तों के अध्याधीन रहेगा जिन शर्तों के अधीन (नियम 29 छोड़कर) कार अग्रिम नियंत्रित होता है।

परन्तु नियम 21 में कोई बात होते हुए भी, यह अग्रिम पहली बार रू.30,000/– (रूपये तीस हजार) या 4 माह का मूल वेतन+महंगाई वेतन या क्रय किये वाहन (मोटर सायकल, स्कूटर, मोपेड) की कीमत इन तीनों में जो सबसे कम हो, वह राशि स्वीकृत की जावेगी।

मोटर सायकल/स्कूटर/मोपेड के दूसरी बार क्रय करने पर, अग्रिम की राशि रू. 24,000/– (रूपये चौबीस हजार) या कर्मचारी का तीन माह का मूलवेतन+महंगाई वेतन का योग या क्रय किये गये वाहन (मोटर सायकल/स्कूटर/मोपेड) का मूल्य इन तीनों में जो सबसे कम हो, वह राशि स्वीकृत की जावेगी। परन्तु नियम 23 में कोई बात होते हुए भी, शासकीय सेवक को मोटर सायकल/मोपेड/स्कूटर के लिये दिया अग्रिम, उनती किश्तों, में जो कर्मचारी चाहे वसूल किया जोगा किन्तु वे किश्ते 70 से अधिक नहीं होंगी।